हेमंत गुप्ता और राज राहुल गर्ग के समक्ष, जे.जे.

VAKIL *RAJ* — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा की स्थिति और *अन्य* — *उत्तरदाताओं*

2014 का CRWP नंबर 1840

28 नवंबर, 2015

A) हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988-एस। 2(एए)-'कट्टर कैदी' की परिभाषा की वैधता और वैधता को चुनौती दी गई - आयोजित, 7वीं अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 4 राज्य विधानमंडल को कैदियों/दोषियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है-विभिन्न प्रकार के अपराधों को हार्डकोर की परिभाषा में शामिल किया गया है कैदी-राज्य विधानमंडल हार्डकोर कैदी को दोषियों की विभिन्न श्रेणी के रूप में परिभाषित करने में सक्षम है-कट्टर कैदी के रूप में विभिन्न दोषियों की श्रेणी मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है-याचिका खारिज।

B) हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988-पैरोल एक अधिकार नहीं बल्कि अच्छे आचरण के लिए एक रियायत है-जेल में प्रतिबंधित वस्तु रखने वाला दोषी जेल अधिनियम, 1894 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है-दोषी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अच्छा आचरण बनाए रखा है- पकड़ा गया, दोषी जो जेल अनुशासन बनाए नहीं रखता है वह पैरोल का हकदार नहीं है क्योंकि पैरोल देने की शर्तों में से एक हिरासत में अच्छा व्यवहार है - दी गई सजा कदाचार के लिए लगाया गया जुर्माना है जबकि जेल में अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए पैरोल दी जाती है।

C) हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988-एस.2(एए)-तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को धारा 2 में खंड (एए) शामिल करने से पहले दोषी ठहराया गया था और यह लागू नहीं होगा-अस्वीकृत- माना गया कि यह होगा लागू होगा क्योंकि पैरोल की मंजूरी पैरोल पर विचार करने की तिथि पर लागू होने वाले कानून के अनुसार मानी जाएगी न कि दोषसिद्धि की तिथि पर।

D) हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 - पैरोल और फर्लो - भेद - पैरोल "अच्छे व्यवहार" के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि पैरोल नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए

पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करता है - दूसरी ओर, फरलो दी जाती है एक अच्छे आचरण की छूट के रूप में.

यह माना गया कि दिनेश कुमार के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, धारा 26.4 पर विचार कर रही थी।

वकील राज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (हेमंत गुप्ता, जे.)

पैरोल / फर्लो गाइडलाइंस, 2010 में दोषियों की रिहाई के लिए. बेंच के सामने तर्क था उस जेल में अच्छा आचरण केवल प्रासंगिक मानदंड होना चाहिए न कि वह अपराध जिसके लिए उसके पास है दोषी ठहराया गया. बेंच ने पैरोल के बीच अंतर देखा और फरलो. यह पाया गया कि पैरोल "अच्छे व्यवहार" के लिए दी गई है" इस शर्त पर कि पैरोल नियमित रूप से एक पर्यवेक्षक अधिकारी को रिपोर्ट करता है एक निर्दिष्ट अवधि के लिए. दूसरी ओर, फर्लो को एक अच्छे आचरण छूट के रूप में प्रदान किया जाता है. इसे निम्नलिखित प्रभाव के लिए आयोजित किया गया है:

> 15. दिशानिर्देश पैरोल के साथ-साथ फर्लो से भी संबंधित हैं। दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है जिसे समय-समय पर न्यायालयों द्वारा समझाया गया है। पैरोल को कैदियों की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी किसी कैदी की शीघ्र रिहाई, अच्छे व्यवहार की शर्त और एक निर्धारित अवधि के लिए अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट करना। इसे सशर्त क्षमा के एक रूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दोषी को उसकी सजा की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरोल अच्छे व्यवहार के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि पैरोलकर्ता नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत, कैदी की ऐसी रिहाई कुछ बुनियादी आधारों पर अस्थायी रूप से होती है। इसे सज़ा की मात्रा को बरकरार रखते हुए कुछ समय के लिए सज़ा का निलंबन मात्र माना जाएगा। पैरोल पर रिहाई को कुछ निर्दिष्ट अत्यावश्यकताओं में कैदियों को कुछ राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है

> 18. दूसरी ओर, फर्लो, जेल से एक संक्षिप्त रिहाई है। यह सशर्त है और लंबी अवधि की कैद की स्थिति में दिया जाता है। कैदियों द्वारा छुट्टी पर बिताई गई सजा की अवधि को उसे भुगतना जरूरी नहीं है जैसा कि पैरोल के मामले में होता है। फर्लो अच्छे आचरण के तहत छूट के तौर पर दी जाती है। वस्तुतः एक दोषी को सजा की अवधि के लिए या आजीवन कारावास की स्थिति में शेष जीवन के लिए जेल में रहना चाहिए। इस संदर्भ में, थोड़े समय के लिए जेल से उनकी रिहाई को न केवल अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए बल्कि समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए एक अवसर के रूप में माना जाना चाहिए। दोषियों को भी कम से कम कुछ समय के लिए ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, बशर्ते कि वे कारावास के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखें और खुद को सुधारने और अच्छे नागरिक बनने की प्रवृत्ति दिखाएं। इस प्रकार, मुक्ति और पुनर्वास

समाज की भलाई के लिए ऐसे कैदियों को कारावास की सजा भुगतते समय उचित महत्व मिलना चाहिए।

24. जेल में बंद सभी लोग छुट्टी पाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जाहिर है, समाज को उन लोगों को अलग-थलग कर देना चाहिए जो पीड़ितों को शिकार बनाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। फिर भी प्रशासकों को उन अपराधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और जिनके व्यवहार से पता चलता है कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में जीने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार, ऐसे समायोजनों को आकार देने के लिए फर्लो कार्यक्रम का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए।

31. जहाँ तक उन दोषियों का, जिनका आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया था और जो अतीत में भाग गए थे या वैध हिरासत से भागने का प्रयास किया था या जिन्होंने आत्मसमर्पण करने में किसी भी तरह से चूक की थी, उन्हें फर्लो अनुदान के लाभ से बाहर रखा गया है.

xx xx

32. इस सीमा तक, उपरोक्त श्रेणियों का बहिष्कार कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता है। यहां तक कि दिशानिर्देश, 2010 में भी खंड 26 में इसी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि फर्लो प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए; कैदी की रिहाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित या लंबित जांच में शामिल होने के लिए खतरनाक या हानिकारक नहीं माना जाना चाहिए; गंभीर अपराध से जुड़े मामले में; वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी उपस्थिति को उसके गृह जिले आदि के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक शांति और शांति के लिए अत्यधिक खतरनाक या प्रतिकूल माना जाता है (पैरा 13)

आगे माना गया कि 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 विधायिका को कैदियों और उसमें बंद व्यक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है। इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास कैदियों/दोषियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल के ऐसे पूर्ण विधायी क्षेत्राधिकार पर याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा भी उचित रूप से विवाद नहीं किया गया है। पैरोल कोई अधिकार नहीं है. यह एक रियायत है, जो अच्छे आचरण पर दी जाती है। एक दोषी, जो प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल अपने पास रखता है, जेल में अनुशासन बनाए नहीं रख रहा है। जेल में प्रतिबंधित वस्तु रखने के लिए

भी उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वह जेल अधिनियम, 1894 की धारा 46 के तहत दंड का भागी हो सकता है। लेकिन सजा के बाद, दोषी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अच्छा आचरण बनाए रखा है। , जो अकेले ही उसे पैरोल देने पर विचार करने का अधिकार देता है। दी गई सजा कदाचार के लिए लगाया गया जुर्माना है, जबकि जेल में अच्छा आचरण नहीं बनाए रखने के लिए पैरोल अस्वीकार कर दी जाती है। दोनों के कारण और प्रभाव अलग-अलग हैं और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि सजा पूरी होने पर दोषी को इस कारण से पैरोल पर रिहा करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके पास मोबाइल या सिम कार्ड पाया गया था।

.

(पैरा 15)

आगे कहा गया कि एक दोषी, जो जेल अनुशासन बनाए नहीं रखता है, पैरोल का हकदार नहीं है क्योंकि पैरोल देने की शर्तों में से एक हिरासत में अच्छा व्यवहार है। वैसे तो मोबाइल नागरिकों के उपयोग की सुविधा है, लेकिन ऐसा अधिकार कैदी के पास नहीं है. किसी दोषी के व्यक्तिगत अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, जिसमें स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार भी शामिल है। इसलिए, यह शर्त लगाना कि मोबाइल का उपयोग, जिसके दुरुपयोग की संभावना है, एक दोषी को पैरोल देने से वंचित कर देगा, अनुचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह जेल में अनुशासन और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए शुरू की गई एक आवश्यकता है

(पैरा 17)

आगे माना गया कि विभिन्न प्रकार के अपराधों को 'कट्टर कैदी' की परिभाषा में शामिल किया गया है, लेकिन विधानमंडल किसी विशेष शब्द को परिभाषित करने में सक्षम है, जो आवश्यक रूप से शब्दकोश या सामान्य उपयोग के अर्थ के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए परिभाषा एक विशेष स्थिति से निपटने के लिए दी गई है और इसलिए, ऐसी परिभाषा को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि दोषी का प्रत्येक वर्ग एक समरूप समूह नहीं बनाता है। वास्तव में, दोषियों की विभिन्न श्रेणियां अलग-अलग और अलग-अलग श्रेणियां हैं, जिन्हें पैरोल के उद्देश्य से एक साथ जोड़ दिया गया है। अधिनियम का उद्देश्य कैदियों द्वारा अच्छा आचरण बनाए रखने पर पैरोल देना है, इसलिए, राज्य विधानमंडल कट्टर कैदी को विभिन्न श्रेणी के दोषियों के रूप में परिभाषित करने में सक्षम है, जो क़ानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जो कि जेल में अच्छा आचरण है।(पैरा 18)

आगे यह माना गया कि राज्य विधानमंडल "कट्टर कैदियों" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करते समय अपराधियों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित कर सकता है, जो राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। नतीजतन, हम नहीं पाते कि कट्टर कैदी के रूप में विभिन्न दोषियों की श्रेणी किसी भी बुराई से ग्रस्त है और/या मनमाना या भेदभावपूर्ण है।(पैरा 22)

आगे कहा गया कि संशोधित परिभाषा उन सभी दोषियों पर लागू होगी, जिन्हें अधिनियम की धारा 2 में खंड (एए) के संशोधन और सम्मिलन से पहले दोषी ठहराया गया था। पैरोल पर विचार करने की तिथि पर लागू कानून के अनुसार पैरोल देने पर विचार किया जाना चाहिए।

(पैरा 23)

अर्जुन शीरन, एडवोकेट,
याचिकाकर्ता के लिए.

राजेश गौर, अदल. एजी, हरियाणा,
उत्तरदाताओं के लिए.

हेमंट गुप्ता, जे.

(1) (1) यह आदेश हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') में डाली गई "कट्टर कैदी" की परिभाषा की वैधता और वैधता को चुनौती देने वाली उपरोक्त दो आपराधिक रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा। यह अधिनियम पैरोल या फर्लो पर रिहाई के लिए दोषियों के अधिकार को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(2) प्रारंभ में धारा (आ) को हरियाणा द्वारा धारा 2 में डाला गया था अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिलीज) संशोधन अधिनियम 2012. सम्मिलित परिभाषा के तहत पढ़ता है:

> "(एए) 'कट्टर कैदी' का मतलब एक व्यक्ति है, जो -
>
> (i) डकैती, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, सिलसिलेवार हत्या, कॉन्ट्रैक्ट हत्या, फिरौती या जबरन वसूली के लिए हत्या या हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, मौत या सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया है। भारत, वेश्यावृत्ति या सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार या ऐसे अन्य अपराध के लिए नाबालिग को खरीदना या बेचना, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है; या;
>
> (ii) उपरोक्त खंड (i) के अंतर्गत आने वाले अपराधों को छोड़कर, भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII या XVII में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए लगातार पाँच वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान दो या अधिक बार कारावास की सजा सुनाई गई हो। , विभिन्न अवसरों पर प्रतिबद्ध जो एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं और ऐसी सजाओं के परिणामस्वरूप कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए सुधार हुआ है;
>
> बशर्ते कि पांच साल की अवधि दूसरी सजा की तारीख से पीछे की ओर गिना जाएगा और पांच साल की अवधि की गिनती करते समय, वास्तविक कारावास या हिरासत की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण - एक दोषसिद्धि जिसे अपील या पुनरीक्षण में रद्द कर दिया गया है और उसके संबंध में किसी कारावास को उपरोक्त उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या

> (iii) मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है; या
>
> (iv) जेल परिसर के अंदर सेल फोन का उपयोग करने या सेल फोन/सिमकार्ड रखने का पता चला है; या
>
> (v) उस तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर खुद को आत्मसमर्पण करने में विफल रहा जिस दिन उसे उस अवधि की समाप्ति पर

आत्मसमर्पण करना चाहिए था जिसके लिए उसे इस अधिनियम के तहत पहले रिहा किया गया था।

(3) उक्त परिभाषा को बाद में 2013 के हरियाणा अधिनियम संख्या 21 और बाद में 2015 के हरियाणा अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन यह "कट्टर कैदी" की परिभाषा है, जैसा कि वर्तमान में धारा 2 (एए) में है। जो दोनों याचिकाओं में चुनौती का विषय है, जो इस प्रकार है:

"(एए) 'कट्टर कैदी' का मतलब एक व्यक्ति है -

(i) किसे दोषी ठहराया गया है -

(1) भारतीय दंड संहिता की धारा 392 या 394 के तहत डकैती;

(2) भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 396 या 397 के तहत डकैती;

(3) भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत फिरौती के लिए अपहरण;

(4) भारतीय दंड संहिता की धारा 387 सहपठित 302 या धारा 387 सहपठित 307 भारतीय दंड संहिता के तहत फिरौती या जबरन वसूली के लिए हत्या या हत्या का प्रयास;

(5) भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ पठित 302 के तहत हत्या के साथ बलात्कार;

(6) सोलह साल की उम्र में किसी महिला के साथ बलात्कार;

(7) बलात्कार धारा 376-ए, 3376-डी या के अंतर्गत आता है

376-ई भारतीय दंड संहिता;

(8) अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो या दो से अधिक मामलों में सिलसिलेवार हत्या यानी धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या;

(9) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या, यदि अपराधी एक सुपारी हत्यारा है जैसा कि मामले के फैसले में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है;

(10) भारतीय दंड संहिता की धारा 459 या 460 के तहत गुप्त घर में अतिक्रमण या घर में तोड़फोड़ करना जहां मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाई गई हो;

(11) भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 124-ए के तहत या तो अपराध;

(12) अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 या 5 के तहत अनैतिक तस्करी जिसमें नाबालिग शामिल हों या भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए, 366-बी, 372 या 373 के तहत;

(13) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 17(सी) या 18(बी) के तहत अपराध; या

(14) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 14 के तहत अपराध

(i) जो अपनी सजा से ठीक पहले पांच साल की अवधि के दौरान उपरोक्त खंड (i) के तहत आने वाले अपराधों को छोड़कर, भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII या XVII में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो और सजा सुनाई गई हो। विभिन्न अवसरों पर जो एक ही लेन-देन का हिस्सा न हों और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी पड़ी हो;

बशर्ते कि पांच वर्ष की अवधि की गणना करते समय, वास्तविक कारावास या हिरासत की अवधि को बाहर रखा जाएगा;

बशर्ते कि यदि किसी दोषसिद्धि को अपील या पुनरीक्षण में रद्द कर दिया गया है, तो उसके संबंध में भुगते गए किसी भी कारावास को उपरोक्त उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या

(ii) जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो; या

(iii) जिसे जेल परिसर के अंदर सेल फोन का उपयोग करने या सेल फोन/सिम कार्ड रखने का पता चला है; या

(iv) जो उस तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर खुद को आत्मसमर्पण करने में असफल रहा, जिस अवधि के लिए उसे इस अधिनियम के तहत पहले रिहा किया गया था, उस अवधि की समाप्ति पर उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए था।

बशर्ते कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अपराध को ऊपर उल्लिखित अपराधों की सूची में शामिल कर सकती है।

(4) 2014 के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 1840 में याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 302/148/149 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, मामले की एफआईआर संख्या 51 दिनांक 11.04.2002 के साथ-साथ धारा 302/307/34 आईपीसी के तहत भी। मामले में एफआईआर संख्या 84 दिनांक 25.07.2003। दायर जवाब में, अधीक्षक, जिला जेल, करनाल का पक्ष यह है कि याचिकाकर्ता हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम की

धारा 2 (एए) (आई) (8) के संदर्भ में एक कट्टर कैदी है। 2013, इसलिए, वह पैरोल का हकदार नहीं है।

(5) 2014 के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 832 में याचिकाकर्ता भी एफआईआर संख्या 934 दिनांक 01.11.2006 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। ऐसी सजा भुगतने के दौरान, याचिकाकर्ता को 2007 की एफआईआर संख्या 511 के मामले में भी मोबाइल फोन रखने के लिए दोषी ठहराया गया था जब वह हिरासत में था और 19.03.2009 से 06.11.2009 तक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। पैरोल के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था और जेल अधिनियम 1894 के प्रावधानों के संदर्भ में एक महीने के लिए साक्षात्कार रोकने के लिए उसे बड़ी सजा दी गई थी। ऐसी सजा न्यायिक रूप से थी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 2 (एए) (iv) के संदर्भ में एक 'कट्टर कैदी' है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के लिए पैरोल दी गई थी सजा के 5 साल पूरे होने के बाद.

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि 'कट्टर कैदी' की परिभाषा अनुचित है और इसका हासिल किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह दोषियों की व्यापक श्रेणियों को एक में वर्गीकृत करता है, जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि धारा 2(एए) ऐसी धारा लागू होने से पहले दोषी ठहराए गए दोषियों के संबंध में लागू नहीं होगी। जगप्रीत सिंह @ प्रीत बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक 2015 के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 427 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि समावेशी परिभाषा मनमानी और काल्पनिक है, क्योंकि इसके तहत शामिल किए गए कई अपराधों को कट्टर या खतरनाक अपराध नहीं कहा जा सकता है। कई अन्य अपराध, यदि अधिक खतरनाक और हिंसक नहीं हैं, छोड़ दिए गए हैं। इसलिए, ऐसी समावेशी परिभाषा टिकाऊ नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि संशोधन अति-वर्गीकरण के दोष से ग्रस्त हैं, क्योंकि विभिन्न विविध अपराध/कार्य/चूक आदि जिनका अन्यथा कोई परस्पर संबंध नहीं हो सकता है और दोषियों की विविध श्रेणियां हैं जो किसी कट्टर/आदतन अपराधी या अपराधी से संबंधित नहीं हो सकती हैं। जघन्य अपराध करने को कट्टर कैदी की परिभाषा का हिस्सा बना दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि पैरोल के अनुरोध पर विचार करने पर पूर्ण रोक पूरी तरह से अनुचित है। दिनेश कुमार बनाम राज्य1 के रूप में रिपोर्ट किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि जेल में अच्छा आचरण और अपराध नहीं, फर्लो और पैरोल प्राप्त करने के लिए सर्वोपरि/प्रासंगिक मानदंड है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि राज्य को समन्वय बढ़ाने, एफआईआर का पंजीकरण सुनिश्चित करने, पैरोल से बाहर निकलने वाले ऐसे दोषियों के जमानतदारों के बांड जब्त करने की जरूरत है, न कि अनावश्यक

रूप से और मनमाने ढंग से कई को रोककर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की जरूरत है। दोषियों को पैरोल मिलने से रोक यह भी तर्क दिया गया है कि संशोधनों के कारण बेतुके और कठोर परिणाम सामने आए हैं, जब बड़े जेल अपराधों के लिए दंडित एक दोषी को अस्थायी आधार पर रिहाई से इनकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन और अन्य2 (डांस बार मामला) के फैसले पर भी भरोसा किया। उक्त निर्णय में, निम्नलिखित पैरा पर भरोसा रखा गया था: "106. इससे पहले कि हम यह निर्धारित करने की कवायद शुरू करें कि क्या विवादित संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के दायरे से बाहर है, किसी भी कानून को कानून के दायरे से बाहर घोषित करने से पहले उसके परीक्षण के लिए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा। . हमारे लिए उन निर्णयों का संपूर्ण सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं है जिनमें विभिन्न परीक्षण तैयार किए गए हैं और उनकी पुनः पुष्टि की गई है। हालाँकि, हम बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य एआईआर 1955 एससी 191 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दे सकते हैं।, जिसमें इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 14 का सही अर्थ और दायरा इस प्रकार समझाया: -

“यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है, लेकिन यह कानून के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। हालाँकि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा पास करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्, (i) कि वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो एक साथ समूहित व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है, और (ii) उस अंतर का संबंधित क़ानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर स्थापित किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक, या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के आधार पर। आवश्यक यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णयों से यह भी अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि अनुच्छेद 14 न केवल एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है

(8) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि राज्य विधानमंडल 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अनुसार कैदियों और जेलों में बंद व्यक्तियों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है। राज्य ने अपने पूर्ण विधायी क्षेत्राधिकार में दोषियों की विभिन्न श्रेणियों को वर्गीकृत करने के लिए 'कट्टर कैदी' को परिभाषित किया है, जो उक्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में इस तरह

के वर्गीकरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्गीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने के साथ एक उचित संबंध है, यानी दोषियों को पैरोल देना, जो हिरासत में रहते हुए अच्छा आचरण बनाए रखते हैं और दूसरी ओर ऐसे इनकार करना। उन दोषियों को लाभ, जो हिरासत में रहते हुए दुर्व्यवहार करते हैं। विद्वान राज्य के वकील ने 2012 के सीआरडब्ल्यूपी नंबर 2104 में 'अजय जड़ेजा @ जनक बनाम' हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक से इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया। ने 14.12.2012 को निर्णय लिया, जिसमें यह माना गया कि दोषी का खुद को पैरोल पर रिहा करने का अधिकार वास्तविक नहीं है। यह कारावास के दौरान दोषी को दी गई रियायत है, इसलिए, संशोधित अधिनियम या नियम सभी दोषियों पर लागू होते हैं, चाहे उन्हें अधिनियम में संशोधन से पहले या बाद में दोषी ठहराया गया

इससे पहले, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 2013 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15333 में 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पंजाब और चंडीगढ़ बनाम' हरियाणा राज्य एवं अन्य' शीर्षक दिया था के लिए दिनांक 27.03.2014 को निम्नानुसार आदेश दिया गया:

"हमने हरियाणा राज्य द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन किया है, हालांकि हम अभी भी विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से दिए गए स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं कि सुधारात्मक उपाय केवल दोषसिद्धि के बाद शुरू होते हैं और इस प्रकार, अंडर-ट्रायल अवधि होती है। बाहर करने की मांग की गई है, हम इस सुविचारित नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। साथ ही, हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा राज्य कुछ समय के लिए मामले का निरीक्षण करेगा और उसके बाद फिर से जांच करेगा कि क्या उसके अनुभव को देखते हुए जघन्य अपराधों में छुट्टी के प्रयोजनों के लिए विचाराधीन विचाराधीन अवधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कोई खंड है। जारी रखा जाना चाहिए या नहीं. इस संबंध में विचार छह महीने की अवधि के बाद किया जा सकता है।

हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि इसमें दोषी ठहराए गए व्यक्ति, समाज, दोषी और पीड़ित आदि के विपरीत हित शामिल हैं और उन पहलुओं को निस्संदेह ध्यान में रखा जाना चाहिए।

किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है।"

(10) इसके बाद, 2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16 18.09.2015 को अधिनियमित किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 5 ए की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित करते हुए एक दोषी को अनुमति दी गई है, जिसे मौत की सजा नहीं दी गई है, अगर उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं कारावास की सजा सुनाई गई है और पैरोल देने पर विचार करने के लिए जेल अधीक्षक द्वारा कोई बड़ी सजा नहीं दी गई है। हालाँकि, 5 साल की कैद की अवधि में मुकदमे के दौरान 2 साल से अधिक की कैद शामिल नहीं होगी, जबकि 5 साल की कैद को गिना जाएगा।

(11) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। सबसे पहले, हमें नहीं लगता कि डांस बार्स मामले (सुप्रा) में उक्त निर्णय का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग है। उक्त मामले में, बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33-ए और धारा 33-बी की वैधता पर विचार किया

गया। हालाँकि पूरे राज्य में डांस बार पर प्रतिबंध था, लेकिन ड्रामा थिएटर, सिनेमा थिएटर और ऑडिटोरियम में नृत्य प्रदर्शन; या स्पोर्ट्स क्लब या जिमखाना, जहां प्रवेश केवल इसके सदस्यों तक ही सीमित है, या तीन सितारा या उससे ऊपर के होटल या किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में, जो (ए) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पर्यटन नीति को ध्यान में रखते हैं। राज्य में पर्यटन गतिविधियाँ; या (बी) सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राज्य सरकार, विशेष या सामान्य आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, वर्जित नहीं थी। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है, और (ii) उस अंतर का तर्कसंगत संबंध होना चाहिए प्रश्नगत क़ानून द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु। वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर स्थापित किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक, या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के आधार पर। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव डाला:

> "109. वर्गीकरण की तर्कसंगतता के परीक्षण के लिए उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हालाँकि, इस तरह के वर्गीकरण का मूल्यांकन विवादित कानून के उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए; (देखें: राम कृष्ण डालमिया बनाम एस.आर.तेंडोलकर एआईआर 1958 एससी 538)। वर्तमान मामले में, उपरोक्त मानदंडों के आधार पर दोनों वर्गों के बीच अंतर को आंकना उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
>
> 112 . हम उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील से भी सहमत हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है कि धारा 33 बी के तहत छूट प्राप्त संस्थानों में नृत्य की अनुमति है, यदि प्रतिबंधित में अनुमति है स्थापना, अपमानजनक, शोषणकारी या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करने वाली होगी। हमारा दृढ़ मत है कि एक भेद, जिसका आधार प्रतिष्ठानों के वर्ग और वर्गों/प्रकार के व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठान में बार-बार आते हैं और जो प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, उन्हें संवैधानिक दर्शन के तहत समर्थन नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भारत के संविधान और व्यक्तिगत अनुच्छेदों में जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है।

121. हमारी राय है कि राज्य आसपास की परिस्थितियों के आधार पर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों और निषिद्ध प्रतिष्ठानों के बीच वर्गीकरण को

उचित ठहराने में विफल रहा है; या भेद्यता. निस्संदेह, विधायिका नुकसान की डिग्री को मापने और उचित वर्गीकरण करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है, लेकिन जब इस तरह के वर्गीकरण को चुनौती दी जाती है तो राज्य प्रत्यक्ष निष्कर्षों के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य है। हमारी राय में, वर्तमान मामले में, कानून एक अस्वीकार्य धारणा पर आधारित है कि तथाकथित अभिजात वर्ग यानी अमीर और प्रसिद्ध लोगों के पास अपने समकक्षों की तुलना में शालीनता, नैतिकता या चरित्र की ताकत के उच्च मानक होंगे, जिन्हें खुद को कम सुविधाओं से संतुष्ट करना पड़ता है। डांस बार में निम्न गुणवत्ता के. ऐसी धारणा भारत के नागरिकों को सुरक्षित करने के संविधान की प्रस्तावना के संकल्प के प्रति घृणित है। ''स्थिति और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा''। राज्य सरकार ने माना कि 3 स्टार से कम सुविधाओं वाले प्रतिष्ठानों में एक समान नृत्य आइटम का प्रदर्शन महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक होगा और सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को अपमानित, भ्रष्ट या घायल करने की संभावना होगी; लेकिन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में ऐसा नहीं होगा। ये बीते युग की गलत धारणाएं हैं जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए।''

(१२) इस प्रकार, हम पाते हैं कि डांस बार्स मामले (सुप्रा) में न्यायालय ने वर्गीकरण को अनुचित पाया क्योंकि नर्तकियों के लिए निषेध केवल कुछ क्षेत्रों में था।

(१३) दिनेश कुमार के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, फरलो पर दोषियों की रिहाई के लिए पैरोल/फरलो दिशानिर्देश, 2010 के खंड 26.4 पर विचार कर रही थी। खंडपीठ के समक्ष तर्क यह था कि जेल में अच्छा आचरण ही एकमात्र प्रासंगिक मानदंड होना चाहिए, न कि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। बेंच ने पैरोल और फर्लो के बीच अंतर देखा। यह पाया गया कि पैरोल "अच्छे व्यवहार" के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि पैरोल नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। दूसरी ओर, फर्लो को अच्छे आचरण में छूट के रूप में दिया जाता है। इसे निम्नलिखित प्रभाव के लिए आयोजित किया गया है:

15. दिशानिर्देश पैरोल के साथ-साथ फर्लो से भी संबंधित हैं। दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है जिसे समय-समय पर न्यायालयों द्वारा समझाया गया है। पैरोल को कैदियों की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी किसी कैदी की शीघ्र रिहाई, अच्छे व्यवहार की शर्त और एक निर्धारित अवधि के लिए अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट करना। इसे सशर्त क्षमा के एक रूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दोषी को उसकी सजा की समाप्ति से पहले

रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरोल अच्छे व्यवहार के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि पैरोलकर्ता नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत, कैदी की ऐसी रिहाई कुछ बुनियादी आधारों पर अस्थायी रूप से होती है। इसे सज़ा की मात्रा को बरकरार रखते हुए कुछ समय के लिए सज़ा का निलंबन मात्र माना जाएगा। पैरोल पर रिहाई को कुछ निर्दिष्ट अत्यावश्यकताओं में कैदियों को कुछ राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है

18. दूसरी ओर, फर्लो, जेल से एक संक्षिप्त रिहाई है। यह सशर्त है और लंबी अवधि की कैद की स्थिति में दिया जाता है। कैदियों द्वारा छुट्टी पर बिताई गई सजा की अवधि को उसे भुगतना जरूरी नहीं है जैसा कि पैरोल के मामले में होता है। फर्लो अच्छे आचरण के तहत छूट के तौर पर दी जाती है। वस्तुतः एक दोषी को सजा की अवधि के लिए या आजीवन कारावास की स्थिति में शेष जीवन के लिए जेल में रहना चाहिए। इस संदर्भ में, थोड़े समय के लिए जेल से उनकी रिहाई को न केवल उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने के लिए बल्कि समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए एक अवसर के रूप में माना जाना चाहिए। दोषियों को भी कम से कम कुछ समय के लिए ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, बशर्ते वे कारावास के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखें और खुद को सुधारने और अच्छे नागरिक बनने की प्रवृत्ति दिखाएं। इस प्रकार, समाज की भलाई के लिए ऐसे कैदियों की मुक्ति और पुनर्वास को कारावास की सजा भुगतते समय उचित महत्व मिलना चाहिए.

24. जेल में बंद सभी लोग छुट्टी की छूट के पात्र नहीं हैं। जाहिर है, समाज को उन लोगों को अलग-थलग कर देना चाहिए जो पीड़ितों को शिकार बनाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। फिर भी प्रशासकों को उन अपराधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं और जिनके व्यवहार से पता चलता है कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में जीने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार, ऐसे समायोजनों को आकार देने के लिए छुट्टी कार्यक्रम का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए।

31. जहाँ तक उन दोषियों का, जिनका आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया था और जो अतीत में भाग गए थे या वैध हिरासत से भागने का

प्रयास किया था या जिन्होंने खुद को आत्मसमर्पण करने में किसी भी तरह से चूक की थी, उन्हें फलों के लाभ से बाहर रखा गया था।

इस सीमा तक, उपरोक्त श्रेणियों का बहिष्कार कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता है। यहां तक कि दिशानिर्देश, 2010 में भी खंड 26 में इसी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि फर्लो प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए; कैदी की रिहाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित या लंबित जांच में शामिल होने के लिए खतरनाक या हानिकारक नहीं माना जाना चाहिए; गंभीर अपराध से जुड़े मामले में; वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी उपस्थिति को उसके गृह जिले आदि के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक शांति और शांति के लिए अत्यधिक खतरनाक या प्रतिकूल माना जाता है।

(14) ऐसा देखने के बाद, न्यायालय ने पाया कि खंड 26.4 में निर्दिष्ट अपराधों को फर्लो के अनुदान के लिए अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए। उक्त निर्णय विशेष रूप से एक दोषी को फरलो पर रिहा करने के संबंध में था, जैसा कि पीठ ने देखा कि यह पैरोल से अलग आधार पर है। पैरोल अच्छे व्यवहार के लिए दी जाती है

(15) 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 विधायिका को कैदियों और उसमें बंद व्यक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है। इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास कैदियों/दोषियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल के ऐसे पूर्ण विधायी क्षेत्राधिकार पर याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा भी उचित रूप से विवाद नहीं किया गया है। पैरोल कोई अधिकार नहीं है. यह एक रियायत है, जो अच्छे आचरण पर दी जाती है। एक दोषी जो प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल अपने पास रखता है, वह जेल में अनुशासन कायम नहीं रख रहा है। जेल में प्रतिबंधित वस्तु रखने के लिए भी उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वह जेल अधिनियम, 1894 की धारा 46 के तहत दंड का भागी हो सकता है। लेकिन सजा के बाद, दोषी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अच्छा आचरण बनाए रखा है। , जो अकेले ही उसे पैरोल देने पर विचार करने का अधिकार देता है। दी गई सजा कदाचार के लिए लगाया गया जुर्माना है, जबकि जेल में अच्छा आचरण नहीं बनाए रखने के लिए पैरोल अस्वीकार कर दी जाती है। दोनों के कारण और प्रभाव अलग-अलग हैं और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि सजा पूरी होने पर, दोषी को इस कारण से पैरोल पर रिहा करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके पास मोबाइल या सिम कार्ड पाया गया था।

(16) यह तर्क कि मोबाइल या सिम कार्ड रखना ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि यह दैनिक दिनचर्या और आवश्यकता है। एक कैदी के अधिकार जेल मैनुअल और जेल अधिनियम द्वारा शासित होते हैं,

पंजाब जेल मैनुअल का पैरा 630, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, अधिनियम की धारा 46 के तहत लगाए जाने वाले दंडों को छोटे और बड़े दंडों में वर्गीकृत करता है। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2014 के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 665 में 'परदीप कुमार बनाम' शीर्षक दिया था। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ ने 10.03.2015 को निर्णय लिया कि वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जेल की सजा को अधिक वैज्ञानिक और उचित तरीके से तर्कसंगत बनाने के लिए यह राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल के लिए खुला है। इसका निम्नलिखित प्रभाव देखा गया है:

(17) "पंजाब जेल मैनुअल का पैरा 562 अधिनियम की धारा 46 के तहत दी जाने वाली सज़ाओं को छोटी और बड़ी सज़ाओं में वर्गीकृत करता है। दूसरी ओर, पंजाब जेल मैनुअल का पैरा 630, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, अधिनियम की धारा 46 के तहत लगाए जाने वाले दंडों को छोटे और बड़े दंडों में वर्गीकृत करता है। जेल की सजा के परिणाम हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) नियम, 2007 के नियम 9 में निहित हैं, जो मामूली जेल की सजा पाने वाले दोषी को यह अधिकार नहीं देता है कि उसका पैरोल मामला सजा की तारीख से छह महीने के बाद शुरू किया जाएगा, जबकि किसी दोषी के मामले में, जिसे बड़ी जेल की सजा दी गई है, उसका पैरोल मामला सजा की तारीख से एक वर्ष के बाद शुरू किया जाएगा। जेल अधीक्षक द्वारा दी गई सजा की सीमा और प्रकृति ऊपर बताए गए तरीके से न्यायिक मूल्यांकन के अधीन है। हालाँकि, हमारा मानना है कि छोटी और बड़ी सज़ाओं को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है और वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जेल की सज़ाओं को अधिक वैज्ञानिक और उचित तरीके से तर्कसंगत बनाना राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल के लिए खुला होगा।

(19)कर्नाटक बैंक लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, 'व्यक्ति' शब्द को व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर आंध्र प्रदेश कर अधिनियम, 1987 में परिभाषित किया गया था, जो 'की परिभाषा से भिन्न था। जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 में उपस्थित होने वाले व्यक्ति' पर विचार किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव डाला:

"43. सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3 (42) में 'व्यक्ति' की परिभाषा निस्संदेह उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। ऐसी समावेशी परिभाषाओं के संबंध में व्याख्या का सुप्रसिद्ध नियम हमेशा से यह रहा है कि अन्य संस्थाओं को, जो

अन्यथा ऐसी परिभाषाओं के उदाहरणात्मक अधिनियमन के कारण परिभाषा के भीतर कड़ाई से नहीं आते, उन्हें इसका हिस्सा माना जाता। विधायिका अपने विवेक से प्रत्येक अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'व्यक्ति' को अलग से परिभाषित करने और सामान्य खंड अधिनियम में एक से अलग परिभाषित करने और एक कृत्रिम इकाई बनाने में सक्षम है। सामान्य खंड अधिनियम में 'व्यक्ति' की परिभाषा राज्य विधानमंडल की 'व्यक्ति' को परिभाषित करने और सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित अर्थ से भिन्न अर्थ अपनाने की शक्तियों पर किसी बंधन या प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करेगी

के.एन.फार्म्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य4 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या 'डूबा हुआ पानी का टैंक' धारा 2(एफ) के अर्थ के अंतर्गत एक 'भूमि' होगा। बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961

12. इसे अलग ढंग से कहें तो, यदि किसी शब्द को ए और बी के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें सी, डी, ई और एफ शामिल हैं, तो "शामिल है" शब्द का उपयोग ए और बी शब्दों के अर्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है; और जब इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है, तो उन शब्दों को न केवल उनके प्राकृतिक आयात (अर्थात ए और बी) के अनुसार जो वे दर्शाते हैं, उसे समझने के रूप में समझा जाना चाहिए, बल्कि उन चीजों को भी समझना चाहिए जो व्याख्या खंड घोषित करता है कि उनमें शामिल होंगे (अर्थात् सी, डी) , ई और एफ). [आम तौर पर न्यायमूर्ति जी.पी. में टिप्पणियाँ देखें। सिंह के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 11वां (2008) संस्करण, पृष्ठ 174-81।]

22. लेकिन सामान्य अर्थ और धारणाएं, या विभिन्न परिभाषाओं वाले क़ानूनों के संदर्भ में दिए गए निर्णय किसी ऐसे शब्द की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं करेंगे जो अधिनियम में स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से और विस्तृत रूप से परिभाषित है। हमें अधिनियम में इसकी परिभाषा के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ पता लगाना होगा।

23. जबकि अधिनियम का उद्देश्य व्याख्या में उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक हो सकता है, इस्तेमाल किए गए स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह माना है कि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक ही अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "भूमि" होंगे, सामान्य रूप से सभी टैंक नहीं। आइए अब यह पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों की जांच करें कि क्या कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला "टैंक" उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई भूमि है.

24. "भूमि" की परिभाषा में प्रयुक्त स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, बारहमासी पानी से ढकी रहने वाली भूमि,

जिसमें टैंक भी शामिल हैं, को भूमि की परिभाषा से बाहर करना संभव नहीं है। इसलिए हम इस बात से सहमत हैं कि कृषि/बागवानी उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने वाले टैंक अधिनियम के उद्देश्यों के लिए "भूमि" हैं।

25. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम मेसर्स डिटर्जेंट इंडिया लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य हालिया फैसले में।, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'अर्थ' 'और शामिल है' एक विधायी उपकरण है जिसके द्वारा 'शामिल' भाग विस्तार के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों, या चीजों को लाता है जो नहीं होंगे अन्यथा 'साधन' भाग में शामिल किया गया है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"24. हमें रालिवोल्फ बनाम यूओआई, 59 ईएलटी 220 बॉम्बे (1992) में उपरोक्त पैराग्राफ में पहुंचे कुछ निष्कर्षों से सहमत होना मुश्किल लगता है। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, "साधन" "और शामिल है" एक विधायी उपकरण है जिसके द्वारा "शामिल" भाग विस्तार के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों या चीजों को लाता है जिन्हें अन्यथा "साधन" में शामिल नहीं किया जाता। भाग। यदि

ऐसा है, तो जाहिर है कि दोनों भागों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। "शामिल" भाग में जो कुछ है वह केवल उस विषय से संबंधित है जिसे परिभाषित किया जाना है और यह अपने दायरे में ऐसे व्यक्तियों, वस्तुओं या चीजों को लेता है जो पहले भाग में शामिल नहीं हैं। हमने पहले ही बताया है कि होल्डिंग और सहायक कंपनियों को "शामिल" भाग में शामिल करने का कारण यह है कि अधिकारी कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे देख सकें। यह कहना कि होल्डिंग और सहायक कंपनियों को एक-दूसरे के व्यवसाय में पारस्परिक हित भी रखना चाहिए, पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा, शब्द "और" जो परिभाषा के दो भागों को जोड़ता है, अर्थहीन नहीं है। यह आवश्यक है क्योंकि यह "शामिल है" शब्द से पहले आता है और परिभाषा खंड में व्यक्तियों, वस्तुओं या चीजों को लाता है जिन्हें अन्यथा "साधन" भाग में शामिल नहीं किया जाएगा।

(22) उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, राज्य विधानमंडल "कट्टर कैदियों" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए अपराधियों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित कर सकता है, जो राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। नतीजतन, हम नहीं पाते कि कट्टर कैदी के रूप में विभिन्न दोषियों की श्रेणी किसी भी बुराई से ग्रस्त है और/या मनमाना या भेदभावपूर्ण है।

यह तर्क कि अधिनियम में संशोधन उन दोषियों पर लागू नहीं होगा, जो धारा 2 में खंड (एए) को शामिल करने से पहले दोषी ठहराए गए हैं, फिर से तर्कसंगत नहीं है। जगप्रीत सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य और हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया है। हालाँकि, वरिंदर सिंह का मामला (सुप्रा) जेल अधिनियम, 1894 की धारा 45 के तहत एक जेल अपराध की सजा से संबंधित है, जबकि हरजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में, फिर से सवाल नारकोटिक ड्रग्स की धारा 18 के तहत एक अपराध के लिए सजा बढ़ाने का था। और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 दिनांक 18.11.2009 की अधिसूचना के आधार पर। इस प्रकार, दोनों निर्णयों की वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। वर्तमान मामले में उठाया गया मुद्दा दोषसिद्धि का नहीं है, बल्कि पैरोल देने का है, जो एक रियायत है, जैसा कि अजय जड़ेजा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित किया गया था, जिस पर राज्य के विद्वान वकील ने भरोसा किया था। संशोधित परिभाषा उन सभी दोषियों पर लागू होगी, जिन्हें अधिनियम की धारा 2 में खंड (एए) के संशोधन और सम्मिलन से पहले दोषी ठहराया गया था। पैरोल पर विचार करने की तिथि पर लागू कानून के अनुसार पैरोल देने पर विचार किया जाना चाहिए।

(23) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें दोनों याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है। वही बर्खास्त किये जाते हैं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)